रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.), 128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5, 1989/श्रावण 14, 1911
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5, 1989/SRAVANA 14, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1989

सा. का. नि. 526.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (समूह "ग" पद) नियम, 1958 को जहां तक उनका संबंध मैकेनिक/फाइन मैकेनिक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में मैकेनिक (उपकरण)/फाइन मैकेनिक के पद 1 पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (मैकेनिक) (उपकरण)/फाइन मैकेनिक भर्ती नियम, 1989 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :— पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :— इस नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिससे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पैंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
मैकेनिक (उपकरण)/फाइन मैकेनिक	दो *(1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	950-20-1150 द० रो० 25-1500 ६०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पणी:— आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। टिप्पण 2 :—ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से विज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (2) उपकरण मैकेनिक व्यवसाय में आई टी आई/सी टी आई व्यवसाय प्रमाण-पत्र (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) वांछनीय: प्रक्रम (प्रोसेस)/यथार्थमापी यंत्रों की मरम्मत का 2 वर्ष का अनुभव या इसके समतुल्य।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण :—पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर भरी जा सकेंगी:— (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं, और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति : (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर—अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक (एस और आई) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर—सदस्य 3. प्रभाग/अनुभाग का प्रधान—सदस्य 4. नामनिर्देशित समूह "ख" अधिकारी जो अधिमानत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का हो—सदस्य 5. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर—सदस्य	लागू नहीं होता

[फा० सं. ए. 12018/4/87→शर्करा डेस्क—1]

नरेश चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF FOOD)

New Delhi, the 12th July, 1989

G.S.R. 526.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Group 'C' posts) Rules, 1958, in so far as they relate to the post of Mechanic/Fine Mechanic except as respects things done or omitted to be done, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of mechanic (Instrument)/Fine Mechanic in the National Sugar Institute, Kanpur—namely :

1. Short title and commencement : (1) These rules may be calld the National Sugar Institute [(Mecanical Instrument)/Fine Mechanic] Recrui tment Rule, 1989

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. No. Classification and Scale of pay :—The number of the said posts their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, classifications, etc. The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualifications : No person—

(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted, a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post ;

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax : Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Mechanic (Instrument)/ Fine Mechanic	Two* (1989) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Not applicable.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
No	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions/orders issued by Central Government.) Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in the Union	Essential : (i) Matriculation with science or equivalent from a recognised Board/ University. (ii) ITI/CTI Trade Certificate in Instrument Mechanic Trade (Two years course). Desirable : 2 Years' experience of repairing of process/precision instruments.	Not applicable.	Two years

7			
territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2 : In the case of appointment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit names.			

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In the case of recruitment by pomotion/deputation/transfer grades from which promotion/transfer to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
By direct recruitment. Note : Vacancies caused by incumbent being away on transfer on deputation or long illness or stuty leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis from Officers of Central Government,— (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : 1. Director, National Sugar Institute, Kanpur — Chairman 2. Assistant Director, (S& 1), National Sugar Institute, Kanpur. — Member 3. Head of Division/Section — Member 4. A nominated Group 'B' Officer Preferably belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe — Member 5. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur — Member	Not applicable.

[No. A-12018/4/87-Sugar Desk-I]

NARESH CHANDRA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1989

शुद्धिपत्र

सा. का. नि. 527.—भारत के राजपत्र में दिनांक 8-4-89 के सा. का. नि. 250 के पृष्ठ 889-893 के कालम 10 के अन्तर्गत प्रकाशित दिनांक 17-3-89 की अधिसूचना सं. 13-14/86-पी. पी. 2 में वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए:-

"प्रोन्नति वालों के लिए 2 वर्ष और सीधे भर्ती वालों के लिए 1 वर्ष"

[सं. 13-14/86-पी. पी.-2]

पी. डी. खेमानी, निदेशक (फसल)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 17th July, 1989

CORRIGENDUM

G.S.R. 527.—In the notification No. 13-14-|86-P.P.II dated 17-3-89 published in the Gazette of India under GSR 250 at page 889—893 on 8-4-1989, under column 10 the existing entry may be substituted by the following words :

"2 years for promotees ;

and 1 year for

Direct recruits."

[No. 13-14/86-P.P.II]

P. D. KHEMANI, Director (Crops)

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1989

सा.का.नि. 528.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की 18 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443(अ) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3216 (जिसे जिसमें इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तरण करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि मैसर्स स्नाम प्रोगति एस.पी.ए. (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कम्पनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई हैं, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुये लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि कम्पनी 31-12-1987 को समाप्त वित्तीय वर्षों की बाबत अपने भारतीय व्यापार लेखाओं के संबंध में भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रारों को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा :—

(i) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्राप्तियों तथा किये गये भुगतानों का विवरण पत्र जिसका प्रमाणीकरण (1) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत भारत में आदेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा (2) भारत में कार्यरत सनदप्राप्त लेखापाल द्वारा किया गया है।

(ii) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित प्रक्रिया में यथा निर्दिष्ट ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण, तथा

(iii) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित व्यक्तियों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उस आशय का प्रमाणपत्र कि कम्पनी ने 31-12-87 को समाप्त वर्षों के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया।

[संख्या 14/27/88-सी.एल.-VI/III]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 6th July, 1989

G.S.R. 528.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereinafter referred to as the Notification) the Company Law Board hereby directs that in case of M|s. Snamprogetti S.p.A (hereinafter referred to as the company) being a foreign company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594, as modified in their application to a foreign company by the Notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely :—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594, if in respect of the financial year ended on 31-12-1987 the company in respect of its Indian business accounts submits to the appropriate Registrar of Companies in India, in triplicate :—

(i) A statement of receipts and payments made by the Indian Branch, certified by (1) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Act and (2) a Chartered Accountant practising in India,

(ii) A statement of the company's assets and liabilities in India certified in the manner as indicated in item (i) above, and

(iii) A certificate duty signed by person as indicated in item (i) above that the company did not carry on any business in India during the year ended on 31-12-1987.

[No. 14/27/88-CL. VI/CL. III]

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1989

सा.का.नि. 529.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की 18 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443(अ) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3216 (जिसे जिसमें इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तरण करते हुये कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि मैसर्स आई.डब्ल्यू. एस. सौमीनी कम्पनी लि. (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कम्पनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी

कम्पनी पर लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात् :—

यदि कम्पनी 30-6-1988 को समाप्त वित्तीय वर्षों की बाबत अपने भारतीय व्यापार लेखाओं के संबंध में भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रारों को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (i) के खण्ड (क) की उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन समझा जायेगा :—

(1) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्राप्तियों तथा किये गये भुगतानों का विवरणपत्र जिसका प्रमाणीकरण (i) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (i) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत भारत में आदेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा (ii) भारत में कार्यरत शासप्राप्त लेखापाल द्वारा किया गया है।

(2) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित प्रक्रिया में यथा निर्दिष्ट ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण, तथा

(3) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित व्यक्तियों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उस आशय का प्रमाण पत्र कि कम्पनी ने 30-6-88 को समाप्त वर्षों के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया।

[सं. 14/38/88-सी एल-VI सी.एल./III]

New Delhi, the 11th July, 1989

G.S.R. 529.—In exercise of te powers conferred by the proviso to the sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereafter referred to as the Notification) the Company Law Board hereby directs that in case of M/s. I.W.S. Nominee Company Limited (hereinafter referred to as the company) being a foreign company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the Notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely :—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594, if in respect of the financial year ended on 30-6-1988 the company in respect of its Indian business accounts submits to the appropriate Registrar of Companies in India, in triplicate :—

(i) A statement of receipts and payments made by the Indian Branch, certified by (1) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Act and (2) a Chartered Accountant practising in India,

(ii) A statement of the company's assets and liabilities in India certified in the manner as indicated in item (i) above, and

(iii) A certificate duly signed by person as indicated in item (i) above that the company did not carry on any business in India during the year ended on 30-6-1988.

[No. 14/38/88-CL. VI/CL. III]

सा० का० नि० 530.—भारत सरकार कम्पनी कार्य विभाग की 18 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443(अ) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (i) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3216 (जिसे इसमें इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुये कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि मैसर्ज लार्क इन्टर नेशनल लि (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कम्पनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (i) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई हैं, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि कम्पनी 31-12-1988 को समाप्त वित्तीय वर्षों की बाबत भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रारों की निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा :—

(1) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्राप्तियों तथा किये गये भुगतानों का विवरणपत्र जिसका प्रमाणीकरण (1) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (i) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत भारत में आदेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा (ii) भारत में कार्यरत शासप्राप्त लेखापाल द्वारा किया गया है।

(2) उपर्युक्त मद (i) में वर्णित प्रक्रिया में यथा निर्दिष्ट ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण, तथा

(3) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित व्यक्तियों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उस आशय का प्रमाण पत्र कि कम्पनी ने 31-12-88 को समाप्त वर्षों के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया।

[संख्या 14/1/89-सी.एल.-VI सी.एल./III]

G.S.R. 530.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereafter referred to as the Notification) the Company Law Board hereby directs that in case of M/s. Lark International Limited (hereinafter referred to as the company) being a foreign company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the Notification shall apply subject to the following further exceptions an dmodifications, namely :—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594, if in respect of the financial year ended on 31-12-1988 the company in respect of its Indian Business Accounts submits to the appropriate Registrar of Companies in India, in triplicate :—

(i) A statement of receipts and payments made by the Indian Branch, certified by (1) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Act and

(2) a Chartered Accountant practising in India,

(ii) A statement of the company's assets and liabilities in India certified in the manner as indicated in item (i) above, and

(iii) A certificate duly signed by person as indicated in item (i) above that the company did not carry on any business in India during the year ended on 31-12-1988.

[No. 14/1/89-CL. VI/CL. III]

सा.का.नि. 531.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की 18 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443(अ) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3216 (जिसे जिसमें इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तरण करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि मैसर्स एनीचैम एस.पी.ए. (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कम्पनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुये लागू होंगी, अर्थात्:—

यदि कम्पनी 31-12-86, 31-32-1987 एवं 31-12-1988 को समाप्त वित्तीय वर्षों की बाबत अपने भारतीय व्यापार लेखाओं के के संबंध में भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रारों को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा :—

(1) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्राप्तियों तथा किये गये भुगतान का विवरण पत्र जिसका प्रमाणीकरण (1) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत भारत में प्रादेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा (2) भारत में कार्यरत शासप्राप्त लेखापाल द्वारा किया गया है ।

(2) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित प्रक्रिया में यथा निर्दिष्ट ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसंपत्तियों तथा देयताओं का विवरण, तथा

(3) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित व्यक्तियों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उस आशय का प्रमाण पत्र कि कम्पनी ने 31-12-86 31-12-87 एवं 31-12-88 समाप्त वर्षों के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया ।

[संख्या 50/4/89-सी.एल.-III]

G.S.R. 531.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443 (E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) Nos. R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereafter referred to as the Notification) the Company Law Board hereby directs that in case of M/s. ENICHEN S.p.A. (hereinafter referred to as the company) being a foreign company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the Notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely :—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said said section 594, if in respect of the financial year ended on 31-12-1986, 31-12-1987 and 31-12-1988 the company in respect of its Indian business accounts submits to the appropriate Registrar of Companies in India, in triplicate :—

(i) A statement of receipts and payments made by the Indian Branch, certified by (1) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Act and (2) a Chartered Accountant practising in India;

(ii) A statement of the company's assets and liabilities in India certified in the manner as indicated in item (i) above; and

(iii) A certificate duly signed by person as indicated in item (i) above that the company did not carry on any business in Indiaduring the year ended on 31-12-1986, 31-12-198777 & 31-12-1988.

By order of the Company Law Board.

[No. 50/4/89/CLIII]

सा.का.नि. 532:—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की 18 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443 (अ) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (i) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3216 (जिसे जिसमें इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तरण करते हुये कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि मैसर्स स्टैमकौर यू.के. लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कम्पनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (i) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुये लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि कम्पनी 31-12-1986 से 31-12-1989 को समाप्त वित्तीय वर्षों की बाबत अपने भारतीय व्यापार सेवाओं के संबंध में भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायगा :—

(i) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्राप्तियों तथा किये गये भुगतानों का विवरण पत्र जिसका प्रमाणीकरण (i) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (i) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत भारत में प्रादेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिय प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा (2) भारत में कार्यरत शासप्राप्त लेखापाल द्वारा किया गया है ।

(ii) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित प्रक्रिया में यथा निर्दिष्ट ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियां तथा देयताओं का विवरण, तथा

(iii) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित व्यक्तियों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उस आशय का प्रमाण पत्र कि कम्पनी ने 31-12-86 से 31-12-1989 को समाप्त वर्षों के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया ।

[संख्या 50/14/89-सी.एल-III]

G.S.R. 532.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443 (E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) Nos. R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereafter referred to as the Notification) the Company Law Board hereby directs that in case of M/s. STEMCOR UK LIMITED (hereinafter referred as the company) being a foreign company the requirements of

clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the Notification shall apply subject to the following further exceptions and modification, namely :—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said said section 594, if in respect of the financial year ended on 31-12-1986 to 31-12-1989 the company in respect of its Indian business accounts submits to the appropriate Registrar of Companies in India, in triplicate :—

(i) A statement of receipts and payments made by the Indian Branch, certified by (1) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Act and (2) a Chartered Accountant practising in India;

(ii) A statement of the company's assets and liabilities in India certified in the manner as indicated in item (i) above; and

(iii) A certificate duly signed by person as indicated in item (i) above that the company did not carry on any business in India during the year ended on 31-12-1986 to 31-12-1989.

[No. 50/14/89-CL III]

सा.का.नि. 533.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की 18 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443 (अ) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3216 (जिसे जिसमें इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तरण करते हुये कम्पनी विधि बोर्ड एतद्वारा यह निर्देश देता है कि मैसर्स वैदर फोर्ड इनकारपोरेटेड (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कम्पनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होगी अर्थात् :—

यदि कम्पनी 31-12-1988, 31-12-1989 एवं 31-12-1990 को समाप्त वित्तीय वर्षों की बाबत अपने भारतीय व्यापार सेवाओं के संबंध में भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जाएगा :—

(i) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्राप्तियों तथा किए गए भुगतानों का विवरण पत्र जिसका प्रमाणीकरण (1) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत भारत में आदेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा (2) भारत में कार्यरत शासप्राप्त लेखापाल द्वारा किया गया है ।

(ii) उपर्युक्त मद (i) में वर्णित प्रक्रिया में यथा निर्दिष्ट ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण, तथा

(iii) उपर्युक्त मद (i) में वर्णित व्यक्तियों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उस आशय का प्रमाणपत्र कि कम्पनी ने 31-12-88 31-12-1989 एवं 31-12-1989 समाप्त वर्षों के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया ।

[संख्या 50/7/89-सी.एल.-III]

G.S.R. 533.—In exercise of the powers conferred by the provisio to the sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443 (E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administratiin No. S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereafter referred to as the Notification) the Company Law Board hereby directs that in case of M/s. WEATHERFORD INCORPORATED (hereinafter referred to as the company) being a foreign company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the Notification shall apply subject to the following further their exceptions and modifications, namely :—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594, if in respect of the financial year ended on 31-12-1988, 31-12-1989 & 31-12-1990 the company in respect of its Indian business accounts submits to the appropriate Registrar of Companies in India, in triplicate :—

(i) A statement of receipts and payments made by the Indian Branch, certified by (1) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Act and (2) a Chartered Accountant practising in India;

(ii) A statement of the company's assets and liabilities in India certified in the manner as indicated in item (i) above; and

(iii) A certificate duly signed by person as indicated in item (i) above that the company did not carry on any business in India during the year ended on 31-12-1988, 31-12-1989 & 31-12-1990.

[No. 50/7/89-CL.III]

सा.का.नि. 534.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की 16 अक्तूबर, 1972 का अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443(अ) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3216 (जिसे जिसमें इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तरण करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्वारा यह निर्देश देता है कि मैसर्स कोरनिंग (सिंगापुर) पी. टी. ई. लि. (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कम्पनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होगी, अर्थात :

यदि कम्पनी 4-12-1988 को समाप्त वित्तीय वर्षों की बाबत अपने भारतीय व्यापार सेवाओं के संबंध में भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा । :—

(i) भारतीय शाखा द्वारा पर्याप्त प्राप्तियों तथा किये गये भुगतानों का विवरण पत्र जिसका प्रमाणीकरण (i) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (i) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत भारत में आदेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिय प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा (2) भारत में कार्यरत शासप्राप्त लेखापाल द्वारा किया गया है

(ii) उपर्युक्त मद (i) में वर्णित प्रक्रिया में यथा निर्दिष्ट ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण, तथा

(iii) उपर्युक्त मद (i) में वर्णित व्यक्तियों के द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित उस आशय का प्रमाणपत्र कि कम्पनी ने 4-12-88 को समाप्त वर्षों के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया ।

[संख्या 50/10/89-सी.एल.III]

G.S.R. 534.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443 (E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereafter referred to as the Notification) the Company Law Board hereby directs that in case of M/s. CORNING (SINGAPORE) PTE LIMITED (hereinafter referred as the company) being a foreign company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the Notification shall apply subject to the following further exceptions, and modifications, namely :—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594, if in respect of the financial year ended on 4-12-1988 the company in respect of its Indian business accounts submits to the appropriate Registrar of Companies in India, in triplicate :—

(i) A statement of receipts and payments made by the Indian Branch, certified by (1) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Act and (2) a Chartered Accountant practising in India;

(ii) A statement of the company's assets and liabilities in India certified in the manner as indicated in item (i) above; and

(iii) A certificate duly signed by person as indicated in item (i) above that the company did not carry on any business in India during the year ended on 4-12-1988.

[No. 50|10|89-CL.III]

सा.का.नि. 535:— भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की 18 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 443 (अ) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3216 (जिसे जिसमें इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तरण कर हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि मैसर्स स्मिथ इन्टर नैशनल सिंगापुर पी.टी.ई. लि. (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कम्पनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई हैं, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होंगी, अर्थात :—

यदि कम्पनी 31-12-1988, 31-12-1989 एवं 31-12-1990 को समाप्त वित्तीय वर्षों की बाबत अपने भारतीय व्यापार सेवाओं के संबंध में भारत समुचित में कम्पनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा :—

(i) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्राप्तियां तथा किए गए भुगतानों का विवरण पत्र जिसका प्रमाणीकरण (1) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत भारत में आदेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा (2) भारत में कार्यरत शासप्राप्त लेखापाल द्वारा किया गया है ।

(ii) उपर्युक्त मद (i) में वर्णित प्रक्रिया में यथा निर्दिष्ट ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियां तथा देयताओं का विवरण, तथा

(iii) उपर्युक्त मद (i) में वर्णित व्यक्तियों के द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित उस आशय का प्रमाण पत्र कि कम्पनी ने 31-12-88/31-12-1989 एवं 31-12-1990 समाप्त वर्षों के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया ।

[संख्या 50/9/89-सी.एल.-III]

G.S.R. 535.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443 (E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereafter referred to as the Notification) the Company Law Board hereby directs that in case of M/s. SMITH INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD. (hereinafter referred to as the company) being a foreign Company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the Notification shall apply subject to the folloiwg further exceptions and modifications, namely :—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594, if in respect of the financial year ended on 31-12-1988, 31-12-1989 and 31-12-1990 the company in respect of its Indian business accounts submits to the appropriate Registrar of Companies in India, in triplicate :—

(i) A statement of receipts and payments made by the Indian Branch, certified by (1) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Act and (2) a Chartered Accountant practising in India;

(ii) A statement of the company's assets and liabilities in India certified in the manner as indicated in item (i) above; and

(iii) A certificate duly signed by person as indicated in item (i) above that the company did not carry on any business in India during the year ended on 31-12-1988, 31-12-1989 and 31-12-1990.

By order of the Company Law Board.

[No. 50|9|89-CL.III]

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1989

सा. का. नि. 536.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की 18 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 443(अ) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) दिनांक 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 3216 (जिसे इसमें इसके बाद अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तरण करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि मैसर्स स्टीन इन्डस्ट्री (जिसे इसमें इसके बाद कम्पनी कहा गया है) के मामले में यह एक विदेशी कम्पनी होने पर उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी पर लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होंगी, अर्थात्:—

यदि कम्पनी 31-12-1984 एवं 31-12-1985 को समाप्त वित्तीय वर्षों की बाबत अपने भारतीय व्यापार शाखाओं के संबंध में भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रारों का निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करें तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जाएगा:—

(1) भारतीय शाखा द्वारा प्राप्त प्राप्तियों तथा किए गए भुगतानों का विवरण पत्र जिसका प्रमाणीकरण (i) 1 अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत भारत में आदेशिका की सेवा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति, तथा (ii) भारत में कार्यरत शासप्राप्त लेखापाल द्वारा किया गया है ।

(2) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित प्रक्रिया में तथा निर्दिष्ट ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण, तथा

(3) उपर्युक्त मद (1) में वर्णित व्यक्तियों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उस आशय का प्रमाण पत्र कि कम्पनी ने 31-12-1984 एवं 31-12-1985 को समाप्त वर्षों के दौरान भारत में कोई व्यापार नहीं किया ।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से,

[संख्या 50/8/89—सी. एल.-III]

के. एम. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 17th July, 1989

G.S.R. 536.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with the Govt. of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 433(E), dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India,, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No. S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957, (hereinafter referred to as the Notification) the Company Law Board hereby directs that in case of M|s. Stein Industries (hereinafter referred to as the company) being a foreign company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the Notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely :—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594, if in respect of the financial year ended on 31-12-1984 and 31-12-1985 the company in respect of its Indian Business Accounts submits to the appropriate Registrar of Companies in India, in triplicate :—

(i) A statement of receipts and payments made by the Indian Branch, certified by (1) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Act and (2) a Chartered Accountant practising in India,

(ii) A statement of the company's assets and liabilities in India certified in the manner as indicated in item (i) above, and

(iii) A certificate duly signed by person as indicated in item (i) above that the company did not carry on any business in India during the year ended on 31-12-1984 and 31-12-1985.

By Order of the Company Law Board,

[No. 50/8/89-CL.III]

K. M. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1989

सा.का.नि. 537 :—केन्द्रीय सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (सीमेंट) नियम, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (सीमेंट) संशोधन नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागत लेखा अभिलेख (सीमेंट) नियम, 1966 में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"2. लागू होना—ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर, जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आते हैं, प्रत्येक ऐसी कम्पनी को लागू होंगे जो क्लिंकर या सीमेंट या दोनों के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई है ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है ।"

[फा.सं. 52/229/77-सीएबी]

टिप्पणी :—मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1402 तारीख 12-9-1966 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(1) सा.का.नि 1245, तारीख 9-8-1967;
(2) सा.का.नि. 86, तारीख 4-1-68;
(3) सा.का.नि. 772, तारीख 3-6-77;
(4) सा.का.नि. 14, तारीख 5-1-83 ।

New Delhi, the 22nd July, 1989

G.S.R. 537.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Cement) Rules, 1966, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Cement) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Cement) Rules, 1966 for rule 2. the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacture

of clinker or cement or both excepting those companies falling under the category of Small Scale Industrial Undertaking.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression,

"Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulatoin) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. G.S.R. 1402, dated 12th September, 1966.

Subsequently amended by :

(i) GSR 1245, dated 9-8-67;
(ii) GSR 86, dated 4-1-68 ;
(iii) GSR 772, dated 3-6-77 ;
(iv) GSR 14, dated 5-1-83.

सा.का.नि. 538 :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (साइकिल) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (साइकिल) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (साइकिल) नियम, 1967 के नियम 2 और उसके नीचे के पैरा के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"2. 'लागू होना—ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, उस प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे, जो साइकिलों और उनके पुर्जों के उत्पादन या विनिर्माण में लगी हुई हैं।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।"

[फा.सं. 52/229/77-सीएबी]

टिप्पणी :—मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 311 तारीख 2 मार्च, 1967 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
तत्पश्चात् वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(1) सा.का.नि. 1244 तारीख 7-8-1967
(2) सा.का.नि. 84 तारीख 4-1-1968
(3) सा.का.नि. 774 तारीख 3-6-1977
(4) सा.का.नि. 1270 तारीख 10-10-1979
(5) सा.का.नि. 15 तारीख 8-1-1983

G.S.R. 538.—In exercsie of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Cycles) Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Cycles) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost of Account Records (Cycles) Rules, 1967, for rule 2, and the paragraph below it, the following rule and Explanation shall be substituted namely :

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the production or manufacture of cycles and components thereof excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951".

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 311, dated the 2nd March, 1967.

Subsequently amended by :

(i) GSR 1244 dated 7-8-1967 ;
(ii) GSR 84 dated 4-1-1968 ;
(iii) GSR 774 dated 3-6-1977.
(iv) GSR 1270 dated 10 10-1979.
(v) GSR 15 dated 8-1-1983.

सा.का.नि. 539:—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (टायर और ट्यूब) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (टायर और ट्यूब) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (टायर और ट्यूब) नियम, 1967 के नियम 2 और उसके नीचे के पैरा के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"2. लागू होना :—ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं उस प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे, जो सभी प्रकार के यानों के लिए रबड़ टायरों और ट्यूबों के उत्पादन या विनिर्माण में लगी हुई हैं।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा.सं. 52/229/77-सीएबी]

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1260, तारीख 10/8/1967 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

(1) का.आ. 1192 तारीख 21-3-1968
(2) सा.का.नि. 2012 तारीख 6-11-1968
(3) सा.का.नि. 775 तारीख 3-6-1987
(4) सा.का.नि. 1271 तारीख 10-10-1979
(5) सा.का.नि. 16 तारीख 8-1-1983

G.S.R. 539.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Tyres and Tubes) Rules, 1967, namely : —

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Tyres and Tubes) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Tyres and Tubes) Rules, 1967, for rule 2 and the paragraph below it, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the production or manufacture of rubber tyres and tubes for all types of vehicles excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings."

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression,

"Small Scale Industrial Undertaking" shall have the meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 1260, dated 10-8-1967.

2. Subsequently amended by :
(i) S.O. 1192, dated 21-3-1968.
(ii) GSR 2012, dated 6-11-1968.
(iii) GSR 775 dated 3-6-1977.
(iv) GSR 1271, dated 10-10-1979.
(v) GSR 16 dated 8-1-1983.

सा.का.नि. 540 :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (कास्टिक सोडा) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (कास्टिक सोडा) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (कास्टिक सोडा) नियम, 1967 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"2. लागू होना—ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे, जो किसी भी रूप में कास्टिक सोडा के उत्पादन या विनिर्माण में लगी हुई है।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।"

[फा.सं. 52/229/77—सीएबी]

टिप्पणी :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1261 तारीख 11-8-1967 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

(i) सा.का.नि. 85, तारीख 4-1-1968
(ii) सा.का.नि. 773, तारीख 3-6-1977
(iii) सा.का.नि. 17, तारीख 8-1-1983

G.S.R. 540.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Caustic Soda) Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Caustic Soda) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Caustic Soda) Rules, 1967, for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

2. Application.—They shall apply to every company engaged in the production or manufacture of Caustic Soda in any form excepting those companies falling under the category of Small Scale Industrial Undertakings.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression,

"Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 1261, dated 11-8-1967.

2. Subsequently amended by :
(i) GSR 85, dated 4-1-1968.
(ii) GSR 773, dated 3-6-1977.
(iii) GSR 17, dated 8-1-1983.

सा.का.नि. 541 :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (कक्ष वातानुकूलक) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (कक्ष वातानुकूल संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (कक्ष वातानुकूलक) नियम, 1967 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"लागू होना—ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, प्रत्येक ऐसी कम्पनी को लागू होंगे जो कक्ष वातानुकूलकों के उत्पादन या विनिर्माण में लगी हुई है।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।"

[फा.सं. 52/229/77—सीएबी]

टिप्पणी :—मूल अधिनियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1447, तारीख 16-9-1967 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

(i) सा.का.नि. 1506 तारीख 5-8-1968
(ii) सा.का.नि. 784 तारीख 3-6-1977
(iii) सा.का.नि. 18, तारीख 8-1-1983।

G.S.R. 541.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Room Air-conditioners) Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Room Air-conditioners) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Room Air-conditioners) Rules, 1967, for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the production or manufacture of room air-conditioners excepting those companies falling under the category of Small Scale Industrial Undertakings.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide notification No. GSR 1447, dated 16-9-1967.

2. Subsequently amended by :

(i) GSR 1506, dated 5-8-1968.
(ii) GSR 784, dated 3-6-1977.
(iii) GSR 18, dated 8-1-1983.

सा.का.नि. 542.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (प्रशीतक) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (प्रशीतक) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (प्रशीतक) नियम, 1967 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"2 लागू होना :—ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती है, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो प्रशीतकों के उत्पादन या विनिर्माण में लगी हुई है।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।"

[फा.सं. 52/229/77-सीएबी]

टिप्पणी :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1448 तारीख 18-8-1967 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

3. तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

(i) सा.का.नि. 1505, तारीख 5-8-1968
(ii) सा.का.नि. 781, तारीख 3-6-1977
(iii) सा.का.नि. 19 तारीख 8-1-1983

G.S.R. 542.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Refrigerators) Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Refrigerators) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Refrigerators) Rules, 1967 for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the production or manufacture of refrigerators excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings."

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 1448 dated 18-9-1967.

2. Subsequently amended by :

(i) GSR 1505, dated 5-8-1968.
(ii) GSR 781, dated 3-6-1977.
(iii) GSR 19, dated 8-1 1983.

सा. का. नि. 543.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (मोटर गाड़ी बैटरी) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (मोटर गाड़ी बैटरी) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (मोटर गाड़ी बैटरी) नियम, 1967 के नियम के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे अर्थात :—

"लागू होना— ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो मोटरगाड़ियों में प्रयुक्त संचायक बटरियों के उत्पादन या विनिमार्ण में लगी हुई है।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।"

[फा. सं. 52/229/77 - सी ए बी]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1467 तारीख 20-9-1967 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात् वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(i) सा. का. नि. 1507 तारीख 5-8-1968
(ii) सा. का. नि. 778, तारीख 3-6-1977
(iii) सा. का. नि. 20, तारीख, 8-1-1983 ।

G.S.R. 543.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Automobile Batteries) Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Automobile Batteries) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Automobile Batteries) Rules, 1967, for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the production or manufacture of storage batteries used in automobiles excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide notification No GSR 1467, dated 20-9-1967.

2. Subsequently amended by :

(i) GSR 1507, dated 5-8-1968.
(ii) GSR 778, dated 3-6-1977.
(iii) GSR 20, dated 8-1-1983.

सा. का. नि. 544— केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (विद्युत लैंप) नियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (विद्युत लैंप) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (विद्युत लैंप) नियम, 1967 के नियम 2 और उसके नीचे के पैरा के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"2. लागू होना – ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग उपक्रम के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे, जो विद्युत लैम्पों या प्रतिदीप्ति नलिकाओं या दोनों के उत्पादन या विनिर्माण में लगी हुई है।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।"

[फा. सं. 52/229/77 – सी ए बी]

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का. नि. 1503, तारीख 27-9-67 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात् वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे :

(i) सा. का. नि. 779, तारीख 3-6-1977
(ii) सा. का. नि. 1272 तारीख 10-10-1979
(iii) सा. का. नि. 21, तारीख 8-1-1983

G.S.R. 544.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Electric Lamps) Rules, 1967, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Electric Lamps) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Electric Lamps) Rules, 1967, for rule 2 and the paragraph below it, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the production or manufacture of electric lamps or fluorescent tubes or both excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation.—for the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 1503, dated 27-9-1967.

2. Subsequently amended by :

(i) GSR 779, dated 3-6-1977.
(ii) GSR 1272, dated 10-10-1979.
(iii) GSR 21, dated 8-1-1983.

सा. का. नि. 545.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (विद्युत पंखे) नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (विद्युत पंखे) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (विद्युत पंखे) नियम, 1969 के नियम 2 और उसके नीचे के पैरा के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"2. लागू होना – ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे, जो किसी भी प्रकार के विद्युत पंखे के विनिर्माण में लगी हुई है।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा. सं. 52/229/77 – सीएबी]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 2298 तारीख 15-9-1969 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात् वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(i) सा. का. नि. 785, तारीख 3-6-1977
(ii) सा. का. नि. 1273 तारीख 10-10-1979
(iii) सा. का. नि. 22, तारीख 8-1-1983

G.S.R. 545.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Electric Fans) Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Electric Fans) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Electric Fans) Rules, 1969, for rule 2 and the paragraph below it, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the manufacture of any type of electric

fan excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 2298, dated 15-9-1969.

2. Subsequently amended by :

(i) GSR 785, dated 3-6-1977.
(ii) GSR 1273, dated 10-10-1979.
(iii) GSR 22, dated 8-1-1983.

सा. का. नि. 546 —केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (विद्युत मोटर) नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (विद्युत मोटर) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (विद्युत मोटर) नियम, 1969 के नियम 2 और उसके नीचे के पैरा के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"लागू होना – ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर, जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे, जो किसी भी प्रकार की विद्युत मोटरों के उत्पादन या विनिर्माण में लगी हुई हैं।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा. सं. 52/229/77 –सी ए बी]

टिप्पण :— मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 2574 तारीख 24-10-1969 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात् वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(i) सा. का. नि. 786 तारीख 3-6-1977;
(ii) सा. का. नि. 1274 तारीख 10-10-1979;
(iii) सा. का. नि. 23, तारीख 8-1-1983।

G.S.R. 546.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Electric Motors) Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Electric Motors) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Electric Motors) Rules, 1969, for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the production or manufacture of any type of electric motor excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 2574, dated 24-10-1969.

2. Subsequently amended by :

(i) GSR No. 786 dated 3-6-1977.
(ii) GSR No. 1274 dated 10-10-1979.
(iii) GSR No. 23, dated 8-1-1983.

सा. का० नि. 547.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (मोटर यान) नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (मोटर यान) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (मोटर यान) नियम, 1969 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रख जाएंगे, अर्थात् :—

"2. लागू होना – ये नियम उन कंपनियों को छोड़कर, जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती है, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो यात्री अथवा वाणिज्यिक मोटर यानों के विनिर्माण में, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित यानों का विनिर्माण भी है, लगी हुई हैं, अर्थात् :—

(क) सभी प्रकार की यात्री कारें, जीपें और स्टेशन वैगन ;
(ख) सभी प्रकार के वाणिज्यिक यान, डिलीवरी, और पिक-अप वैन
(ग) मोटर साइकिलें, स्कूटर, स्कूटट और मोपेड ;
(घ) तीन पहियों वाले यान।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।"

[फा. स. 52/229/77 - सी ए बी]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1465, तारीख 17-5-79 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

(i) सा. का. नि. 782, तारीख 3-6-77
(ii) सा. का. नि. 24, तारीख 8-1-83

G.S.R. 547.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Motor Vehicles) Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Motor Vehicles) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Motor Vehicles) Rules, 1969, for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the manufacture of passenger or com-

mercial motor vehicles, including the manufacture of the following vehicles, namely :

(a) all types if passenger cars, jeeps and station wagons ;

(b) all types of commercial vehicles, delivery and pick up vans ;

(c) motor-cycles, scooters, scooterettes and mopeds;

(d) three-wheeler vehicles,

excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 1465, dated 17-5-1969.

2. Subsequently amended by :

(i) GSR 782, dated 3-6-1977,

(ii) GSR 24 dated 8-1-1983.

सा. का. नि. 548—कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (ट्रैक्टर) नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (ट्रैक्टर) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (ट्रैक्टर) नियम, 1971 में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात :—

"2. लागू होना – ये नियम उन कंपनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो किसी भी प्रकार के ट्रैक्टर के विनिर्माण में लगी हुई हैं।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा. स. 52/229/77 – सी ए बी]

टिप्पण – मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1700 तारीख 28-6-71 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे—

(i) सा. का. नि. 776 तारीख 3-6-1977

(ii) सा का. नि. सं० 25 तारीख 8-1-1983।

G.S.R. 548.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Tractors) Rules, 1971, namely :

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Tractors) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Tractors) Rules, 1971, for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the manufacture of any type of tractor excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 1700 dated 28-6-1971.

2. Subsequently amended by :

(i) GSR No. 776, dated 3-6-1977.

(ii) GSR No. 25 dated 8-1-1983.

सा०का०नि० 549.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (एल्यूमीनियम) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाती है, अर्थात :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (एल्यूमीनियम) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (एल्यूमीनियम) नियम, 1972 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रख जाएंगे, अर्थात :—

"2. लागू होना – ये नियम उन कंपनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो निम्नलिखित मदों में से किसी के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई हैं, अर्थात् :—

(क) एलुमिना ;

(ख) एल्यूमीनियम ;

(ग) विभिन्न रूपों में एल्यूमीनियम सिलिकाएं बिलेट और एलायज ;

(घ) पणिकाओं को छोड़कर एल्यूमीनियम चादरें, वृत्त और अन्य वैफिलत उत्पाद ;

(ङ) एल्यूमीनियम बहिर बेंधन ;

(च) प्रोपर्जी रोड,

स्पष्टीकरण-इस नियम प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा. सं. 52/229/77 – सी ए बी]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या का. सा. नि. 1402 तारीख 12-9-1966 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(i) सा. का. नि. 777, तारीख 3-6-1977

(ii) सा का. नि. 26, तारीख 8-1-1983।

G.S.R. 549.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Aluminium) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Aluminium) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Aluminium) Rules, 1972 for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacturing if any of the following items, namely :—

(a) Alumina;

(b) Aluminium ;

(c) Aluminium ingots in different forms, billets and alloys ;

(d) Aluminium sheets, circles and other rolled products excluding foils ;

(e) Aluminium extensions ;

(f) Properzi rods; excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 334, dated 25-2-1972.

2. Subsequently amended by :

(i) GSR 777, dated 3-6-1977; and
(ii) GSR 26, dated 8-1-1983.

सा.का.नि. 550.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (वनस्पति) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (वनस्पति संशोधन नियम, 1989 है।

(2) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (वनस्पति) नियम, 1972 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात :—

"2. "लागू होना – ये नियम ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो वनस्पति के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई है : परन्तु यदि उक्त कंपनी उस संयंत्र या मशीनरी का भागतः या पूर्णतः उपयोग करते हुए, वनस्पति के अतिरिक्त ऐसे किसी अन्य उत्पाद का जैसे औद्योगिक कठोर तेल, मार्गरिन या परिष्कृत तेल, विनिर्माण करती है तो ये नियम ऐसे उत्पाद को भी लागू होंगे ;

परन्तु यह और कि ये नियम उपर्युक्त कम्पनियों में से ऐसी कम्पनी को लागू नहीं होंगे, जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती है।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा. सं. 52/229/77 – सी ए बी]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना स. सा. का. नि. 529 तारीख 27-11-72 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात ये सा. का. नि. 780 तारीख 3-6-1977 और सा. का. नि. 27, तारीख 8-1-83 द्वारा संशोधित किए गए।

G.S.R. 550.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Vanaspati) Rules, 1972, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Vanaspati) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Vanaspati) Rules, 1972, for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacturing of Vanaspati,

Provided that if the said company manufactures in addition to Vanaspati any other product such as industrial hard oil, margarine or refined oil, using the same plant or machinery, partly or fully, these rules shall apply to such products also ;

Provided further that these rules shall not apply to such of the above said companies as falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 1529 dated 27-11-72.

2. Subsequently amended by :

(i) GSR 780, dated 3-6-1977 ; and

(ii) GSR 27, dated 8-1-1983.

सा.का.नि. 551:—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (प्रपुंज औषधि) नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (प्रपुंज औषधि) संशोधन नियम, 1989 हैं ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें ।

2. लागत लेखा अभिलेख (प्रपुंजऔषधि) नियम, 1974 के नियम 2 और उसके नीचे के पैरा के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगें, अर्थात् :—

"लागू होना : ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे, जो प्रपुंज औषधि और /या प्रपुंज औषधि के उत्पादन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित मध्यवर्ती या दोनों के उत्पादन प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई है ।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है ।

[फा. सं. 52/2/29/77-सीएबी]

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 130 (अ) तारीख 14-3-1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

(1) सा.का.नि. 789 तारीख 3-6-1977
(2) सा.का.नि. 1275 तारीख 10-10-1979
(3) सा.का.नि. 28 तारीख 8-1-1983
(4) सा.का.नि. 505 तारीख 26-5-84

G.S.R. 551.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Bulk Drugs) Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Bulk Drugs) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Bulk Drugs) Rules, 1974, for rule 2 and the paragraph below it, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacture of bulk drugs and/or intermediate required specifically for production of bulk drugs or both, excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings."

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 130(E) dated 14-3-1974, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section-3, sub-section (i), pages 497 to 511.

2. Subsequently amended by :

(i) GSR No. 789, dated 3-6-1977.
(ii) GSR 1275 dated 10-10-1979.
(iii) GSR No. 28, dated 8-1-1983.
(iv) GSR No. 505 dated 26-5-1984.

सा.का.नि. 552:- केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (चीनी) नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (चीनी) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (चीनी) नियम, 1974 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"2. लागू होना – ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर, जो लघु उद्योग इकाई के प्रवर्ग के अधीन आती है ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो निर्यात कटाई श्वेत या अपरिष्कृत शक्कर या दोनों के उत्पादन या विनिर्माण में लगी हुई है।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा. सं. 52/229/77-सीएबी]

टिप्पणी: मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 982 तारीख 4-9-1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए –
(1) सा.का.नि. 783 तारीख 3-6-1977 और
(2) सा.का.नि. 29 तारीख 8-1-1983।

G.S.R. 552.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Sugar) Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Sugar) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Sugar) Rules, 1974, for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :

"2. Application.—They shall apply to every company engaged in the production or manufacture of white or raw sugar or both by vacuum pan excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published vide Notification No. GSR 982, dated 4-9-1974.

2. Subsequently amended by :
(i) GSR 783 dated 3-6-1977; and
(ii) GSR 29 dated 8-1-1983.

सा.का.नि. 553 :-केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (शिशु दुग्ध आहार) नियम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (शिशु दुग्ध आहार) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (शिशु दुग्ध आहार) नियम, 1974 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"2. लागू होना – ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर, जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती है, प्रत्येक ऐसी कम्पनी को लागू होंगे जो शिशु दुग्ध आहार के उत्पादन या विनिर्माण में लगी हुई है।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा० सं० 52/229/77-सी एबी]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 701(अ) तारीख 27-12-1974 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

2. तत्पश्चात वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(1) सा.का.नि. 794 तारीख 3-6-1977

(2) सा.का.नि. 30, तारीख 8-1-1983 हैं

G.S.R. 553.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Infant Milk Food) Rules, 1974, namely :

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Infant Milk Food) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Infant Milk Food) Rules, 1974, for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :

"2. Application : They shall apply to every company engaged in the production or manufacture of Infant Milk Foods excepting those companies falling under the category of small Scale Industrial Undertakings.

Explanation : For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertakengs" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1954".

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE : Principal rules were published vide Notification No. GSR 701(E), dated 27-12-1974.

2. Subsequently amended by GSR 794, dated 3-6-1977 & GSR 30, dated 8-1-1983.

सा.का.नि. 554 :– केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक एल्कोहल) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक एल्कोहल) संशोधन नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक एल्कोहल) नियम, 1975 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे , अर्थात :–

"2. लागू होना– ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर, जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्गों के अधीन आती हैं, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो औद्योगिक एल्कोहल जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रवर्गों की कोई श्रेणी या श्रेणियां भी है, अर्थात् :–

(1) परिशुद्ध एल्कोहल

(2) परिशोधित स्पिरिट

(3) विकृतिकृत और विशेष विकृतीकृत स्पिरिट

(4) पावर एल्कोहल के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई है ।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है ।

[फा. सं. 52/229/77-सीएबी]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 594 (अ) तारीख 30-12-1975 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

तत्पश्चात वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(1) सा.का.नि. 792 तारीख 3-6-1977

(2) सा.का.नि. 31, तारीख 8-1-1983 ।

G.S.R. 554.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Industrial Alcohol) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Industrial Alcohol) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Industrial Alcohol) Rules, 1975, for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

2. Application : They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacture of industrial alcohol which includes any grade or grades in the following categories, namely :

(i) Absolute Alcohol ;

(ii) Rectified Spirit ;

(iii) Denatured and special denatured spirit ;

(iv) Power Alcohol ;

excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation :—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE :—Principal rules were published vide notification No. GSR 594(E) dated 30-12-1975.

2. Subsequently amended by GSR 792, dated 3-6-1977. and GSR 31, dated 8-1-1983.

सा.का.नि. 555:–केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (जूट माल) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (जूट माल) संशोधन नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 लागत लेखा अभिलेख (जूट माल) नियम , 1975 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :–

"2. लागू होना--ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर, जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे, जो जूट माल के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण के में लगी हुई है ।

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है ।

[फा. सं. 52/229/77-सीएबी]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ) तारीख 29-12-1975 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

2. तत्पश्चात् वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(i) सा.का.नि. 793 तारीख 4-6-1977

(ii) सा.का.नि. 32 तारीख 8-1-1983

(iii) सा.का.नि. 42 तारीख 8-1-1983

G.S.R. 555.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Jute Goods) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Jute Goods) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Jute Goods) Rules, 1975 for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application : They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacture of jute goods excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings

Explanation : For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE :—Principal rules were published vide notification No. GSR 590(E), dated 29-12-1975, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), pages 2435 to 2486/14.

2. Subsequently amended by GSR 793, dated 3-6-1977.

3. GSR No. 32, dated 8-1-1983.

4. GSR No. 42, dated 8-1-1983.

सा.का.नि. 556:- केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (कागजपत्र) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (कागज-पत्र) संशोधन नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागत अभिलेख (कागज-पत्र) नियम, 1975 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"2. लागू होना – ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर, जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती है, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे, जो मुद्रण, लेखन और लपेटने, अखबारी कागज, गत्ता और अध्यास-पुस्तिका के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कागज के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई है ।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है ।

[फा. सं. 52229/77-सीएबी]

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 601 (अ) तारीख 31-12-1975 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

2. तत्पश्चात् वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

(1) सा.का.नि. 787 तारीख 3-6-1977

(2) सा.का.नि. 1528 तारीख 18-12-1979

(3) सा.का.नि. 33 तारीख 8-1-1983

G.S.R. 556.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Paper) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Paper) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Paper) Rules, 1975, for rule 2, the following rule and explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application :—They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacturing of paper used for the purpose of printing, writing and wrapping, newsprint, paper board and exercise note books of companies manufacturing paper excepting those companies, falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation :—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE :—Principal rules were published vide notification No. GSR 601(E), dated 31-12-1975.

2. Subsequently amended by GSR 787, dated 3-6-1977, GSR 1528, dated 18-12-1979; GSR 33, dated 8-1-1983.

सा.का.नि. 557 :- केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (रेयान) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (रेयान) संशोधन नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागत लेखा अभिलेख (रेयान) नियम, 1976 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"2. लागू होना – ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो निम्नलिखित रेयान उत्पादों में से किसी के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई है

(1) सभी रूपों में विस्कोस स्टेपिल रेशा,

(2) विस्कोस तंतु/सूत,

(3) विस्कोस टायर सूत/डोरी;

(4) ऐसीटेट सूत/रेशा ।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन)

अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में हैं ।

[फा. सं. 52/229/77-सीएबी]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 606 तारीख 20-4-76 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(i) सा.का.नि. 788 तारीख 3. 6. 1977

(ii) सा.का.नि. 34 तारीख 8. 1. 1983

G.S.R. 557.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Rayon) Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Rayon) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Rayon) Rules, 1976, for rule 2, the following rule and explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application :—They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacturing any of the following rayon products :—

(1) Viscose Staple Fibre in all forms ;

(2) Viscose Filament Yarn ;

(3) Viscose Tyre Yarn|Cord ;

(4) Acetate Yarn/Fibre.

excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation :—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE :—Principal rules were published vide Notification No. GSR 606, dated 20-4-1976.

Subsequently amended by GSR 788, dated 3-6-1977 ; GSR 34, dated 8-1-1983.

सा. का. नि. 558 :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (रंजक) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (रंजक) संशोधन नियम, 1989 है :

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागत लेखा अभिलेख (रंजक) नियम, 1976 के नियम 2 और उसके नीचे के पैरा के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात :—

"2. लागू होना – ये नियम उन कंपनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती है, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो रंजकों के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई हैं ।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन-समय समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है ।

[फा. स. 52/229/77 – सी ए बी]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 605 तारीख 22-4-76 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

2. तत्पश्चात् वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(i) सा. का. नि. 791 तारीख 3-6-1977

(ii) सा. का. नि. 1270 तारीख 10-10-1979

(iii) सा. का. नि. 30 तारीख 8-1-1983

G.S.R. 558.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Dyes) Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Dyes) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Dyes) Rules, 1976, for rule 2, and the paragraph below it, the following rule and explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application :—They shall apply to every company engaged in producing, processing or manufacturing of dyes excepting those companies falling under the category of Small Scale Inustrial Undertakings.

Explanation :—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE :—Principal rules were published vide Notification No. GSR 605, dated 22-4-1976.

2. Subsequently amended by :

(i) GSR 791, dated 3-6-1977.

(ii) GSR 1270, dated 10-10-1979.

(iii) GSR 35, dated 8-1-1983.

सा. का. नि. 559: केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (सोडा क्षार) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (सोडा क्षार) संशोधन नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागत लेखा अभिलेख (सोडा क्षार) नियम, 1976 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :

"2. लागू होना – ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर जो लघु उद्योग इकाई के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो भा. मा. सं. के अनुरूप किसी भी रूप में अर्थात् हल्के घने और मध्यम घने सोडा क्षार के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई हैं ।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा. स. 52/229/77 – सी ए बी]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 1720 तारीख 29-5-1976 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात् के निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(i) सा. का. नि. 790 तारीख 3-6-1977 ;

(ii) सा. का. नि. 36 तारीख 8-1-1983

G.S.R. 559.—In exercise of the powers conferrd by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Soda Ash) Rules, 1976, namely :

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Soda Ash) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Soda Ash) Rules, 1976, for rule 2, the following rule and explanation shall be substituted, namely :

"2. Application : They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacture of Soda Ash in any form, that is to say, light, dense and medium dense confirming to ISI Specifications, excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation .—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951".

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE : Principal rules were published vide Notification No. GSR 1720, dated 29-5-1976.

Subsequently amended by GSR 790, dated 3-6-1977; and GSR 36, dated 8-1-1983

सा. का. नि. 560 .—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (नाइलोन) नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (नाइलान संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (नाइलोन) नियम- 1977 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात :-

"2. लागू होना – ये नियम ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो निम्नलिखित नाइलोन उत्पादों में से किसी के उत्पादन प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई हैं, अर्थात् :—

(क) नाइलोन तन्तु ;

(ख) नाइलोन टायर तन्तु/डोरी ;

(ग) नाइलोन टायर डोरी फब्रिक ;

परन्तु यदि उक्त कम्पनी उस संयंत्र या मशीनरी का भागतः या पूर्णतः उपयोग करते हुए, नाइलोन तन्तु के अतिरिक्त ऐसे किसी अन्य उत्पाद का जैसे पालिएस्टर फिलामेन्ट तन्तु विनिर्माण करती है तो ये नियम, ऐसे उत्पादन को भी लागू होंगे ;

परन्तु यह और कि ये नियम उपर्युक्त कम्पनियों में से ऐसी कम्पनी को लागू नहीं होंगे जो लघु उद्योग इकाई के प्रवर्ग के अधीन आती हैं।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा. सं. 52/229/77-सी एबी]

टिप्पण – मूल नियम अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 157 (अ) तारीख 1-4-1977 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात् वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(i) तत्पश्चात् वे अधिसूचना सं. सा. का. नि. 38 तारीख 8-1-1983 द्वारा संशोधित किए गए।

G.S.R. 560.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Nylon) Rules, 1977, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Nylon) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Nylon) Rules, 1977, for rule 2 the following rule and Explanation shall be substituted, namely :

"2. Application—They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacturing of any of the following Nylon products, namely:

(a) Nylon Yarn;

(b) Nylon Tyre Yarn/Cord ;

(c) Nylon Tyre Cord fibric;

Provided that if the said company manufactures in addition to Nylon Yarns, any other product such as polyester filament yarn using the same plant or machinery, fully or partly, these rules shall apply to such products also;

Provided further that they shall not apply to those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation : For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951".

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note : Principal rules were published vide Notification GSR 157(E), dated 1-4-1977.

2. Subsequently amended by GSR 38, dated 8-1-1983.

सा. का. नि. 561 केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का) की धारा 209 की उपधारा (1) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (पालिएस्टर) नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (पालिएस्टर) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (पालिएस्टर) नियम, 1977 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात्:

"2. लागू होना – ये नियम उन कंपनियों को छोड़कर, जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती है, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो निम्नलिखित पालिएस्टर उत्पादों में से किसी के अर्थात :–

(1) पालिएस्टर तन्तु ;

(2) पालिएस्टर तन्तु सूत, के उत्पादन प्रसंस्करण या विनिर्माण लगी हुई हैं।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फ़ा. सं. 52/229/77 – सी ए बी]

टिप्पण – मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 126(अ) तारीख 24-3-1977 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

तत्पश्चात् वे सा. का. नि. सं. 37, तारीख 8-1-1983 द्वारा संशोधित किए गए।

G.S.R. 561.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Polyester) Rules, 1977, namely :

1 (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Polyester) amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the cost Accounting Records (Polyester) Rules, 1977, for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted namely :—

"2. Application :—They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacturing any of the following polyester products, namely:

(1) Polyster Fibre;

(2) Polyster Filament Yarn,

excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation : For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951".

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE : Principal rules were published vide notification No. GSR126(E), dated 24-3-1977.

Subsequently amended by GSR 37, dated 8-1-1983.

सा. का. नि. 562.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (सूती कपड़ा) नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (सूती कपड़ा) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (सूती कपड़ा) नियम, 1977 के नियम 2 और उसके नीचे के पैरा के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"2. लागू होना : ये नियम ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (छ) में यथा परिभाषित शक्ति के उपयोग द्वारा किसी सूती कपड़ा उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई हैं :

परन्तु जहां कोई कंपनी किसी सूती कपड़े के अतिरिक्त या अनन्यत: सूती कपड़े से भिन्न किसी कपड़े जैसे कृत्रिम सैलूलासी कते हुए फाइबर सूत और/या कपड़े, कृत्रिम सेलूलासी कते हुए फाइबर सूत और या आर्टे रेशम कपड़े का विनिर्माण करती है वहां ये नियम ऐसी कम्पनी को भी लागू होंगे ;

परन्तु यह और कि ये नियम उन कम्पनियों में से ऐसी कम्पनी को लागू नहीं होंगे जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फ़ा. सं. 52/229/77 – सी ए बी]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 417(क) तारीख 28-6-1977 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् वे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :

(i) सा. का. नि. 1277 तारीख 10-10-1979

(ii) सा. का. नि. 40 तारीख 8-1-1983

(iii) सा. का. नि. 1206 तारीख 8-12-1984

G.S.R. 562.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Cotton Textiles) Rules, 1977, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Cotton Textiles) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Cotton Textiles) Rules, 1977 for rule 2, the following rule and explanation shall be substituted, namely :

"2. Application : These rules shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacturing of any cotton textile by use of power as defined in clause (g) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) : provided that where any company manufactures, in addition to any of the cotton textiles or exclusively any textile other than cotton, such as man-made cellulosic spun-fibre yarn and/or cloth, man-made non cellulosic spun-fibre yarn and/or art-silk cloth, these rules shall apply to such company also."

Provided further that these rules shall not apply to such of the above said companies as falling under the category of small scale industrial undertakings."

Explanation : For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951".

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE : Principal rules were published vide notification No GSR 417(E), dated 28-6-1977, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (1), pages 1199 to 1337.

1. Subsequently amended by GSR 1277, dated 10-10-79
2. GSR No. 40, dated 8-1-1983.
3. GSR No. 1206, dated 8-12-1984.

सा.का.नि. 563.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (शुष्क सैल बैटरी) नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (शुष्क सैल बैटरी) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (शुष्क सैल बैटरी) नियम, 1979 के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :

"2. लागू होना—ये नियम उन कम्पनियों को छोड़कर, जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं, ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो किसी भी प्रकार की बैटरी और उसके पुर्जों के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई है।

स्पष्टीकरण : —इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा.सं. 52/22/9/77-सीएसी]

टिप्पणी : —मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 45 (अ) तारीख 31-1-1979 और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 39 तारीख 8-1-1983 द्वारा संशोधित किया गया।

G.S.R. 563.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Cost Accounting Records (Dry Cell Batteries) Rules, 1979, namely :

1 (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Dry Cell Batteries) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Dry Cell Batteries) Rules, 1979, for rule 2, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :

"2. Application —They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacturing of any type of dry cell batteries and components thereof, excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation :—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951".

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE : Principal rules were published vide Notification No. GSR 45(E) dated 31-1-1979 and subsequently amended by GSR No. 39, dated 8-1-1983.

सा.का.नि. 564.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागत लेखा अभिलेख (सल्फ्यूरिक अम्ल) नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (सल्फ्यूरिक अम्ल) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (सल्फ्यूरिक अम्ल) नियम, 1980 के नियम 2 के नीचे के पैरा के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. लागू होना—ये ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो विभिन्न श्रेणियों में अर्थात् तकनीकी (वाणिज्यिक), बैटरी, शुद्ध वैश्लेषिक आदि में सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन या विनिर्माण में लगी हुई है—सिवाय उन कम्पनियों के जो लघु उद्योग उपक्रम के प्रवर्ग के अधीन आती हैं।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा.सं. 52/229/77-सीएबी]

टिप्पण : —मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 395 (अ), तारीख 4-7-1980 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) पृष्ठ 679 से 699 पर प्रकाशित किए गए थे।

2. तत्पश्चात् वे अधिसूचना सं. सा.का.नि. 41 तारीख 8-1-1983 द्वारा संशोधित किए गए।

G.S.R. 564.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Cost According Records Sulphuric Acid) Rules, 1980, namely :

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Sulphuric Acid) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Sulphruic Acid) Rules, 1980, for rule 2, and the paragraph below it, the following rule and explanation shall be substituted, namely :

"2. Application: The shall apply to every company engaged in the production or manufacture of Sulphuric Acid in the various grades viz. Technical (Commercial), Battery, Pure Analytical etc.—excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation:—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notifications issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951".

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE : Principal rules were published vide notification No. GSR 395(E), dated 4-7-1980, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i) pages 679 to 699.

2. Subsequently amended by GSR No. 41, dated 8-1-1983.

सा.का.नि. 565 :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (इस्पात ट्यूब और पाइप) नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (इस्पात ट्यूब और पाइप) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (इस्पात ट्यूब और पाइप) नियम, 1984 में नियम 2 और उसके नीचे पैरा के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. लागू होना.—ये नियम ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो काले और जस्तेदार दोनों प्रकार के और विभिन्न आकृति, आकारों में और क्वालिटी वाले स्टील ट्यूबों और पाइपों, जिनके अन्तर्गत स्टेनलेस इस्पात भी है) के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई है, सिवाए उन कम्पनियों के जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती है।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा.सं. 52/229/77-सीएबी]

टिप्पणी : —मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 506 तारीख 26-5-84 में भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) पृष्ठ 1170 से 1193 में प्रकाशित किए गए थे। इसके पश्चात उनका संशोधन नहीं हुआ।

G.S.R. 565.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Steel Tubes and Pipes) Rules, 1984 namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accouning Records (Steel Tubes and Pipes) Amendments Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Steel Tubes and Pipes) Rules, 1984 for rule 2 and paragraph below it, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2 Application:—These rules shall apply to every company engaged in the production, proceeding or manufacture of Steel Tubes and Pipes (including Stainless Steel) both black and plavanised and in various sizes, shapes and qualities excepting those companies falling under the category of Small Scale Industrial Undertakinks."

Explanation:—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertakings" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development) and Regulation Act, 1951.

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note.—Principal rules were published, vide notification No. GSR 506 dated 26-5-84, published in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (i) pages 1170 to 1193.

These have not been amended subsequently.

सा.का.नि. :—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (इंजीनियरी उद्योग) नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (इंजीनियरी उद्योग) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (इंजीनियरी उद्योग) नियम, 1984 में नियम 2 और उसके नीचे पैरा के स्थान पर निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. लागू होना :—ये नियम ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो लागत लेखा अभिलेख (इंजीनियरी उद्योग) नियम, 1984 के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट वर्गों के इंजीनियरी माल के और उनके जो उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर जोड़े गए हैं, उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई है, सिवाय उन कम्पनियों के जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती है।"

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा.सं. 52/229/77-सीएबी)]

टिप्पण : —मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 688 तारीख 7-7-1984 में भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) पृष्ठ 1657 से 1675 तक प्रकाशित किए गए थे।

तत्पश्चात् उनका संशोधन नहीं किया गया है।

G.S.R. 566.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Compaines Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the followig rules further to amend the Cost Accounting Records (Engineering Industries) Rules, 1984, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accouning Records (Engineering Industries) Amendmentt Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Engineering Industries) Rules, 1984 for rule 2, and in the paragraph below it, the following rule and explanation shall be substituted, namely :—

"2 Application:—These rules shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacture of the classes of engineering goods as specified in the Appendix to the Cost Accounting Records (Engineering Industries Rules, 1984, and those added thereto by the Central Government from time to time by notification in the Official Gazette excepting those compaines falling under the category of Small Scale Industrial Undertakings."

Explanation :—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note :—Principal rules were published vide notification No. GSR 688 dated 7-7-84, published in the Gazette of India, Part II Section 3, sub-section (i) pages 1657 to 1675. These have not been amended subsequently.

सा.का.नि. 567.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (विद्युत केबल और कंडक्टर) नियम, 1984 में उनका और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (विद्युत केबल और कंडक्टर) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (विद्युत केबल और कंडक्टर) नियम, 1984 में नियम 2 के स्थान पर और उसके नीचे पैरा में निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. लागू होना—ये ऐसी प्रत्येक कम्पनी को सिवाय उनके जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती है, लागू होंगे जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी भी किस्म के विद्युत केबल, कंडक्टर, तार और पट्टियों के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई है, अर्थात् :—

(क) बिजली के केबल (सभी किस्मों के अर्थात् :—पी आई एल सी, पीवीसी, एक्स एल पीई आदि) ;

(ख) वी आई आर/रबड़ से ढके हुए केबल और सभी किस्मों के नम्य तार;

(ग) पीवीसी विद्युत रोधी केबल, सभी किस्मों के नम्य तार जिनके अन्तर्गत स्विच बोर्ड के तार और केबल भी हैं;

(घ) एनेमल्ड से ढके हुए तार और पट्टियां;

(ङ) कागज, कांच, रेशम और किसी अन्य किस्म की विद्युत रोधी सामग्री से ढके हुए तार और पट्टियां;

(च) ए.ए.सी/एसीएसआर कंडक्टर;

(छ) दूर संचार केबल।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा.सं. 52/229/77-सीएबी]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 767 तारीख 21-7-84 से भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) पृष्ठ 1778 से 1809 पर प्रकाशित किए गए थे।

तत्पश्चात् उनका कोई संशोधन नहीं हुआ।

G.S.R. 567.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Electrical Cables and Conductors) Rules, 1984, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Electrical Cables and Conductors) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the d ate of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Electrical Cables and Conductors) Rules, 1984, for rule 2, and in the paragraph below it, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2 Application.—They shall apply to every company, except those falling under the category of small scale industrial undertakings, engaged in the production, processing or manufacturing of electrical cables, conductors, wires and stips of any type in following categories, namely —

(a) Power cables (All types—namely: PILC, PVC, XLPE etc.);

(b) VIR/Rubber covered cables and flexible wires of all types;

(c) PVC Insulated Cables, Flexible wires of all types including switchboard wires and cables;

(d) Enamelled covered wires and strips;

(e) Wire and strips covered with paper, glass, silk and any other types of insulating materials;

(f) AAC/ACSR conductors;

(g) Telecommunication cables.

Explanation:— For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

Note:— Principal rules were published vide notification No. GSR 767 dated 2-7-84 Published in the Gazette of India Part II, section 3, sub-section (i) pages 1778 to 1809.

These have not been amended subsequently.

सा.का.नि. 568.—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (बेयरिंग) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (बेयरिंग) संशोधन नियम, 1989 है ;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (बेयरिंग) नियम, 1985 में नियम 2 के स्थान पर और उसके नीचे पैरा में, निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"लागू होना :—ये नियम ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो विभिन्न किस्मों के बेयरिंगों अर्थात् बाल और रोलर बेयरिंगें, नीडल बेयरिंगों और विभिन्न आकारों के बेयरिंगों के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई हैं, सिवाए उन कम्पनियों के जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती है।"

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा.सं. 52/229/77—सीएबी]

टिप्पण : —मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 664 तारीख 13-7-85 से भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) पृष्ठ 1679 से 1704 पर प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् उनका कोई संशोधन नहीं हुआ है।

G.S.R. 568.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Bearings) Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Bearings) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Bearings) Rules, 1985, for rule 2, and in the paragraph below it, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application.—These rules shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacture of bearings of various types viz. Ball and Roller Bearings, Needle bearing and of various sizes, excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings.

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951."

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE.—Principal rules were published vide notification No. GSR 664 dated 13-7-85, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) pages 1679 to 1704.

These have not been amended subsequently.

सा.का.नि. 569.—केन्द्रीय सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (दुग्ध खाद्य) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (दुग्ध खाद्य) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (दुग्ध खाद्य) नियम, 1986 में नियम (2) के स्थान पर और उसके नीचे पैरा में, निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. लागू होना : ये नियम ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो किसी भी ब्रांड नाम के अधीन माल्ट मिश्रित दुग्ध खाद्य, ऊर्जा खाद्य या खाद्य पेय के रूप में दुग्ध खाद्य के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई है, सिवाय उन कम्पनियों के जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती हैं।"

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा.सं. 52/229/77-सीएडबी]

टिप्पण: —मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 866 तारीख 25-9-86 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), पृष्ठ 3004 से 3052 पर प्रकाशित किए गए थे।

तत्पश्चात् उनका कोई संशोधन नहीं हुआ।

G.S.R. 569.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Milk Food) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Milk Food) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Milk Food) Rules, 1986 for rule 2, and in the paragraph below it, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application.—These rules shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacture of milk food as malted milk food, energy food or food drink under any brand name excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings."

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE.—Principal rules were published vide notification No. GSR 866 dated 25-9-86, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) Pages 3004 to 3052.

These have not been amended subsequently.

सा.का.नि. 570.—केन्द्रीय सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (रासायनिक उद्योग) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (रासायनिक उद्योग) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (रासायनिक उद्योग) नियम, 1987 में नियम 2 के स्थान पर और उसके नीचे पैरा में निम्नलिखित नियम और स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2 लागू होना : ये नियम लागत लेखा अभिलेख (रासायनिक उद्योग) नियम, 1987 के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के रासायनिक माल के और उसके जो समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया है, उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई है, सिवाय उन कम्पनियों के जो लघु उद्योग उपक्रम के प्रवर्ग के अधीन आती हैं।"

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनार्थ "लघु उद्योग उपक्रम" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं में है।

[फा.सं. 52/229/77-सीएडबी]

टिप्पण: —मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 596 तारीख 8-8-87 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), पृष्ठ 2032 से 2070 पर प्रकाशित किए गए थे।

तत्पश्चात् वे अधिसूचना सं. सा.का.नि. 732 तारीख 17-9-1988 द्वारा संशोधित किए गए।

G.S.R. 570.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost Accounting Records (Chemical Industries) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Chemical Industries) Amendment Rules 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Chemical Industries) Rules, 1987, for rule 2, and in the paragraph below it, the following rule and Explanation shall be substituted, namely :—

"2. Application :—These rules shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacture of the classes of chemical goods as specified in the Appendix to the Cost Accounting Records

(Chemical Industries) Rules, 1987 and those added thereto from time to time by notification in the Official Gazette, excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings."

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[F. No. 52/229/77-CAB]

NOTE.—Principal rules were published vide notification No. GSR 596, dated 8-8-87. Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) Pages 2032 to 2070.

Subsequently amended by GSR No. 732, dated 17th September, 1988.

सा. का. नि. 591.—केन्द्रीय सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत लेखा अभिलेख (सूत्रण) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (सूत्रण) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागत लेखा अभिलेख (सूत्रण) 1989 के नियम 2 और 2.3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. लागू होना :—ये नियम ऐसी प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे जो सूत्रण के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हुई है, सिवाय उन कम्पनियों के जो लघु उद्योग उपक्रमों के प्रवर्ग के अधीन आती है।"

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए लघु उद्योग उपक्रम अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो उसका समय-समय पर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं में है :

परन्तु ऐसी कम्पनियां जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन समय-समय पर अधिसूचित औषधि (कीमत और नियंत्रण) आदेश के अधीन कीमत नियंत्रण के अधीन है, इन नियमों के प्रवर्तन से छूट प्राप्त नहीं होगी।

2क. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से कम्पनी अधिनियम, 1956 अभिप्रेत है;

(ख) "प्रमुख औषधि" और "सूत्रण" अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन समय-समय पर अधिसूचित किए गए औषधि (कीमत और नियंत्रण) आदेश में है।

[फा. स. 52/229/77-सीएबी]

डॉ. गुलाब सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452 तारीख 4-6-1988 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) पृष्ठ 1632 से 1687 में प्रकाशित किए गए थे।

तत्पश्चात् उनका कोई संशोधन नहीं हुआ।

G.S.R. 571.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 642, read with clause (d) of sub-section (1) of Section 209, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Cost Accounting Records (Formulations) Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Formulations) Amendment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost Accounting Records (Formulations) Rules, 1988, for the rules 2, and 2.3 the following shall be substituted, namely :

"2. Application.—These rules shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacture of formulations excepting those companies falling under the category of small scale industrial undertakings."

Explanation.—For the purpose of this rule, the expression, "Small Scale Industrial Undertaking" shall have the same meaning as given in the notification issued from time to time under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

Provided that companies which are subject to price control under the Drugs (Prices and Control) Order as notified from time to time under the Essential Commodities Act, 1955 will not be exempt from the operation of these rules.

2A. Definitions.—In these rules unless context otherwise requires :

(a) "Act" means the Companies Act, 1956;

(b) the expression "bulk drug", and "formulation" shall have the meaning respectively assigned to them under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Drugs (Prices and Control) Order as notified from time to time under the Essential Commodities Act, 1955.

[F. No. 52/229/77-CAB]

DR. GULAB SINGH, Under Secy.

NOTE.—Principal rules were published vide notification number GSR 452, dated 4-6-88, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) pages 1632 to 1687.

These have not been amended subsequently.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1989

सा० का० नि० 572.—राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव विभाग के अधीन भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में कनिष्ठ केयर टेकर समूह "घ" के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (कनिष्ठ केयर टेकर समूह "घ") भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता, वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ केयर टेकर	5 (1989)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित	775-12-955 रु. रो.-14-1025 रु	अचयन	लागू नहीं होता	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसा चौकीदार पहरेदार, जिसने कम से कम 2 वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास कम से कम मिडिल स्कूल उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र है जिसके न हो सकने पर ऐसे अन्य समूह "घ" कर्मचारी जिनके पास कम से कम मिडिल स्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है और जिन्होंने 750-940 रु. के ग्रेड में कम से कम 2 वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
1. वैज्ञानिक "एस एफ" भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण—अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक (एस डी) भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण—सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण—सदस्य	लागू नहीं होता

[फा सं 2/26/89—सी एस बी]
मिलन सैन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Deptt. of Environment, Forests and Wildlife)

New Delhi, the 6th July, 1989

G.S.R. 572 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to artice 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Caretaker Group 'D' in the Botanical Survey of India under the Department of Environment, Forests and Wildlife, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Botanical Survey of India (Junior Caretaker—Group 'D') Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters related thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opiion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be record in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or, category of person.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservaions, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Junior Caretaker	5 (1989)*	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted	Rs. 775-12-955-EB-14-1025.

*Subject to variation dependent on workload.

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
5	6	7
Non selection	Not applicable	No

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Nil

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made
11	12
100% by promotion	Chowkidar/Watchman with atleast 2 years regular serivce and possessing at least middle school pass certificate failing which other Group-D employees possessing atleast middle school pass certificate with atleast 2 years regular service in the grad of Rs. 750-940.

If DPC exists, what is its composition	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making recruitment
13	14
1. Scientist 'SF' Botanical Survey of India–Chairman 2. Scientist 'SF' Botanical Survey of India–Member 3. Senior Administrative Officer/Administrative Officer, Botanical Survey of India—Member.	Not applicable.

[F. No. 2/26/89-CSB]
MITTER SAIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1989

सा० का० नि० 573 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में, निम्न श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
7. निम्न श्रेणी लिपिक		86* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" पद अराजपत्रित अननुसचिवीय	950-20-1150-द० रो०-25-1500 रुपए	प्रवयन

7

(1) 90 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(2) 5 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह "घ" कर्मचारियों में से भरी जाएंगी जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हताएं हैं और जिन्होंने समूह "घ" में 5 वर्ष नियमित सेवा कर ली है विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरी जाएगी। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु 50 वर्ष) होगी।

टिप्पण : (क) किसी विनिर्दिष्ट वर्ष से संबंधित भरी न गई रिक्तियां अग्रनीत नहीं की जाएंगी।

(ख) यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में ऐसे कर्मचारी उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या के बारे में पश्चात्वर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्वतर परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों पर उनसे पहले विचार किया जा सके जो बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।

(iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे समूह "घ" कर्मचारियों में से ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी जिसके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता है।

8	9	10
18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक हो जा सकती है।	(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता (2) अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट से टाइप लेखन की गति हो।	2 वर्ष

11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हां	प्रोन्नति—ऐसे समूह "घ" कर्मचारियों में से जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने अपनी श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रोन्नति विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर और स्तंभ 7 के अधीन उपदर्शित ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी।	लागू नहीं होता

[फा. सं. 2/7/89-सी एस जैड]

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) में निम्नलिखित रूप में प्रकाशित हुए थे :—

क्रम सं	नियम का नाम	सा का नि सं और तारीख	पश्चात्वर्ती संशोधन का सा. का. नि. और तारीख
1.	भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1963	सा० का० नि० 113 15-1-64	(1) सा० का० नि सं 1042 तारीख 17-7-71 (2) सा० का० नि० 185 तारीख 24-2-73 (3) सा० का० नि० 186 तारीख 24-2-73 (4) सा० का० नि० 336 तारीख 3-6-76 (5) सा० का० नि० 1535 तारीख 30-10-76 (6) सा० का० नि० 594 तारीख 6-5-78 (7) सा० का० नि० 739 तारीख 10-6-78 (8) सा० का० नि० 730 तारीख 14-6-85 (9) सा० का० नि० 886 तारीख 21-9-85 (10) सा० का० नि० 887 तारीख 21-9-85 (11) सा० का० नि० 888 तारीख 21-9-85 (12) सा० का० नि० 889 तारीख 21-9-85 (13) सा० का० नि० 890 तारीख 21-9-85

New Delhi, the 8th May, 1989

G.S.R.573 :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Zoological Survey of India (Central Service Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1963, namely :

1. (1) These rules may be called the Zoological Survey of India (Central Service Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule of the Zoological Survey of India (Central Service Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1963, for serial number 7 relating to the post of Lower Division Clerk and the entries relating there to, the following serial number and entries thereof, shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6
7	Lower Division Clerk	86*	General Central Service Group 'C' post. Non-gazetted Ministerial.	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Non-selection

*Subject to variation dependent on workload.

(7)	(8)	(9)
(i) 90% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 5% of vacancies shall be filled up from amongst the Group D Staff who possess Matriculation or equivalent qualifications and have rendered 5 years regular service in Grade 'D', on the basis of a Departmental qualifying Examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the Scheduled/Castes/-Scheduled Tribes.) Note: (a) Unfilled vacancies pertaining to a particular year shall not be carried over. (b) If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a latter examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Grade 'D' employees who possess matriculation or equivalent qualification.	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servant upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University. (i) A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.

10	11	12	13
2 years	Age : No Educational Qualifications : Yes	Promotion : From amongst the Group 'D' staff, who possess educational qualifications of Matriculation or equivalent. and have rendered 5 years regular service in the respective grades. Promotion will be on the basis of a Departmental qualifying examination and seniority-cum-fitness basis as indicated under Column 7.	Not applicable.

[F.No. 2/7/89-CSZ]

Note : The Principal Rules were publised in the Gazette of India, Part-III' Section-a, Sub-section (i), as per details given below :

Sl. No.	Name of the Rules.	G.S.R. No. & date of	G.S.R. Nos. & date of subsequent amendments.
1.	Zoological Survey of India (Central) Service Class III posts) Recruitment Rules, 1963.	GSR 113 15-1-64.	1) GSR 1042 dated 17-7-71 2) GSR 185 dated 24-2-73 3) GSR 186 dated 24-2-73 4) GSR 336 dated 3-6-76 5) GSR 1535 dated 30-10-76 6) GSR 594 dated 6-5-78 7) GSR 739 dated 10-6-78 8) GSR 730 dated 14-6-85 9) GSR 886 dated 21-9-85 10) GSR 887 dated 21-9-85 11) GSR 888 dated 21-9-85 12) GSR 889 dated 21-9-85 13) GSR 890 dated 21-9-85

सा. का. नि. 574.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग 4) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय वर्ग 4) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग 4) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में,

(1) इनसेक्ट सेंटर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 8 के सामने—

(क) स्तम्भ 3 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्:—

"800-15-1010-द.रो.-20-1150 रुपए"

(ख) स्तम्भ 4 में निम्नलिखित अन्तःस्थापित की जाएगी; अर्थात्:—

"अचयन"

(ग) स्तम्भ 5 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्:—

"50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा"

(घ) स्तम्भ 6 में निम्नलिखित अन्तःस्थापित की जाएगी; अर्थात्:—

"ऐसा पुस्तकालय परिचर और चपरासी जिसने अपनी अपनी श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा की है"

(ङ) स्तम्भ 7 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्:—

"18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) ।

टिप्पण:—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।

रोजगार-कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।"

(च) स्तम्भ 10 में निम्नलिखित अन्तः स्थापित की जाएगी; अर्थात्:—

"नहीं"

(II) जिल्दसाज के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 11 के सामने में,—

(क) स्तम्भ 3 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्:—

"800-15-1010-ई.बी.-20-1050 रुपए"

(ख) स्तम्भ 5 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी ; अर्थात्:—

"100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा"

(ग) स्तम्भ 6 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्:—

प्रोन्नति

"ऐसा दफ्तरी जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है"

(घ) स्तम्भ 7 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्:—

"लागू नहीं होता"

(ङ) स्तम्भ 8 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्:—

"लागू नहीं होता"

(च) स्तम्भ 9 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्:—

"लागू नहीं होता"

(III) भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग 4) भर्ती नियम, 1962 में,—

(क) "वर्ग 4" शब्द और अंक जहां जहां आते हैं उनके स्थान पर "समूह घ" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

[फा. सं. 2/22/89—सी एस जेड]

जे. पी. लाखेरा, डेस्क अधिकारी

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :—

सं.	नियम का नाम	सा. का. नि. संख्या और तारीख
1.	भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग 4) भर्ती नियम, 1962	सा. का. नि. सं. 688 तारीख 19-5-1969

G.S.R. 574.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Zoological Survey of India (Central Service Class IV) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Zoological Survey of India (Central Service Class IV) Recruitment (Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Zoological Survey of India (Central Service Class IV) Recruitment Rules, 1962,

(I) against Serial No. 8 relating to the post of Insect Setter :—

(a) in column 3 for entry the following shall be substituted namely :—
"Rs. 800-15-1010-EB-20-1150".

(b) in column 4, the following shall be inserted, namely :—
"Non-selection".

(c) in column 5 for entry the following shall be substituted, namely :—
"50 per cent by promotion and 50 per cent by direct recruitment".

(d) in column 6, the following shall be inserted, namely :—
"Laboratory Attendant and Peon with 4 years regular service in the respective grade"

(e) in column 7 for entry the following shall be substituted, namely :—
"18 to 25 years (upper age limit relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.).

Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of the applications from candidates in India (other than those in the Andaman & Nicobar Islands and Lakshdweep). In the case of recruitment made through the employment exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names."

(f) in column 10, the following shall be inserted, namely :—
"No".

(II) against serial No. 11 relating to the post of Book Binder,—

(a) for the entry under column 3, the following entry shall be substituted, namely :—
"Rs. 800-15-1010-EB-20-1150".

(b) for the entry under column 5, the following entry shall be substituted, namely :—
"100 per cent by promotion".

(c) under column 6 the following entry shall be substituted, namely :—

Promotion

"Daftry with two years regular service in the grade";

(d) for the entry under column 7, the following entry shall be substituted, namely :—
"Not applicable";

(e) for the entry under column 8, the following entry shall be substituted, namely :—
"Not applicable";

(f) for the entry under column 9, the following entry shall be substituted, namely :—
"Not applicable".

(III) In the Zoological Survey of India, (Central Service Class IV) Recruitment Rules, 1962—

(a) for the word and figure "class IV" wherever they occur the word and letter "Group D" shall be substituted.

[File No. 2/22/89-CSZ]

J. P. LAKHERA, Desk Officer

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section (i), per details given below :

S. No.	Name of the rules	G.S.R. No. and date
1.	Zoological Survey of India (Central Service Class IV) Recruitment Rules, 1962.	GSR 688 dated 19-5-62

ऊर्जा मंत्रालय

(अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग)

नई दिल्ली, 28 जून, 1989

सा. का. नि. 575.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (सूचना और प्रचार खंड समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (सूचना और प्रचार खंड समूह "क" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग (सूचना और प्रचार खंड समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में ज्येष्ठ सूचना और प्रचार अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 7 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) 10 वर्ष का पत्रकारिक अनुभव जिसके अंतर्गत किसी समाचार-पत्र, समाचार अभिकरण या किसी अन्य सहयुक्त संगठन में प्रचार/जनसंपर्क कार्य का अनुभव भी है ।

टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पणी 2 : अनुभाग संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

वांछनीय :

(1) जन संचार में मास्टर डिग्री/पत्रकारिता या विज्ञापन में डिप्लोमा ।

(2) संगोष्ठी/परिसंवाद प्रदर्शनी आयोजित करने में अनुभव या मुद्रण तकनीक का अनुभव या फोटोग्राफी/फिल्म निर्माण तकनीक में अनुभव जिसके अंतर्गत विडियो टेप तकनीक भी है ।

[फा. सं. 36/1/88-प्रशा.-1]

के. टी. ईश्वरन, अवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Non-Conventional Energy Sources)

New Delhi, the 28th June, 1989

G.S.R. 575.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Non-Conventional Energy Sources (Group 'A' posts in the Information and Publicity Wing) Recruitment Rules, 1987, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Department of Non-Conventional Energy Sources (Group 'A' posts in the Information and Publicity Wing) Recruitment (Amendment) Rules, 1989.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Non-Conventional Energy Sources (Group 'A' posts in the Information and Publicity Wing) Recruitment Rules, 1987, in the Schedule, against serial Number 1 relating to the post of Senior Information and Publicity Officer, for the existing entry under Column 7, the following shall be substituted, namely :—

"Essential : (i) Bachelor's degree of a recognised University or equivalent.

(ii) 10 years journalistic experience including experience of publicity/public relations work in a newspaper, news agency or any other allied organisation.

Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2.—The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable.—(i) Master's Degree in Mass Communication/Diploma in Journalism or Advertising.

(ii) Experience in organising Seminars/Symposia/Exhibitions or experience of Printing Techniques or experience of Photographic/Film making technique including Video tape techniques.

[F. No. 36/1/88-Admn.I]

K. T. EASWARAN, Under Secy.

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1989

सा. का. नि. 576.—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 97 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड (संशोधन) नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भाखड़ा व्यास प्रबंध नियम, 1974 के नियम 3 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1) उसके मूल विभाग में विद्यमान सेवा के निबंधनों और शर्तों के होते हुए भी, और उसके मूल विभाग से अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर भी अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करता रहेगा ;

परन्तु अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य, अपनी पदावधि के समाप्त हो जाने पर भी, तब तक अपना पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसके पदोत्तरवर्ती की नियुक्ति नहीं हो जाती :

परन्तु यह और कि जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अन्यथा विनिश्चित नहीं किया जाता, अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य साठ वर्ष के बाद अपना पद धारण नहीं करेगा :

परन्तु अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए उक्त पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

[फा. सं. 1/11/87—हाईडल-I]

वी. के. खन्ना संयुक्त सचिव

टिप्पण:—भारत के राजपत्र में प्रकाशित मूल नियमों से संबंधित पूर्व अधिसूचनाओं और पश्चात्वर्ती संशोधनों की विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं :—

मूल नियम—सा. का. नि. 1330 तारीख 14-12-1974

संशोधन:— सा. का. नि. 1709 तारीख 4-12-1976

—सा. का. नि. 749 तारीख 18-6-1977

—सा. का. नि. 556 तारीख 29-4-1978

—सा. का. नि. 1221 तारीख 7-10-1978

—सा. का. नि. 454 तारीख 24-3-1979

—सा. का. नि. 114 तारीख 26-1-1980

—सा. का. नि. 478 तारीख 16-5-1981

—सा. का. नि. 38 तारीख 26-12-1984

—सा. का. नि. 821 तारीख 31-8-85

—सा. का. नि. 664 तारीख 14-8-87

(Department of Power)

New Delhi, the 6th July, 1989

G.S.R. 576.—In exercise of the powers conferred by section 97 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Bhakra Beas Management Board Rules, 1974, namely :—

1. (1) These rules may be called the Bhakra Beas Management Board (Amendment) Rules, 1989.

(2) These shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Bhakra Beas Management Rules, 1974, in rule 3, sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) Notwithstanding the terms and conditions of service obtaining in his parent department, and notwithstanding his superannuation from his parent department, the Chairman or a whole time Member shall continue to hold office for a term of 3 years from the date on which he assumes charge of his office:

Provided that the Chairman or a whole time Member shall, notwithstanding the expiration of his term of office, continue to hold office until his successor is appointed :

Provided further, that, unless otherwise decided for the reasons to be recorded in writing, the Chairman or a whole time Member shall not hold office beyond the age of 60 years :

Provided further that the Chairman or a whole time Member shall be eligible for re-appointment for a further term of 3 years."

[File No. 1/11/87-Hydel]

V. K. KHANNA, Jt. Secy.

Note :—Particulars of the earlier notifications relating to the principal rules and subsequent amendments published in the Gazette of India are furnished below :

Principal rules—G.S.R. 1330 dated 14-12-1974
Amendments—G.S.R. 1709 dated 4-12-1976
G.S.R. 749 dated 18-6-1977
G.S.R. 556 dated 29-4-1978
G.S.R. 1221 dated 7-10-1978
G.S.R. 454 dated 24-3-1979
G.S.R. 114 dated 26-1-1980
G.S.R. 478 dated 16-5-1981
G.S.R. 38 dated 26-12-1984
G.S.R. 821 dated 31-8-1985
G.S.R. 664 dated 14-8-1987

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1989

सा. का. नि. 577.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय डाक और तार (पोस्टमैन/मेल गार्ड/हैड मेल गार्ड) भर्ती नियम, 1969 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने वाले के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति डाक विभाग में पोस्टमैन/ग्रामीण पोस्टमैन और मेल गार्ड पदों के लिए भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(1) इन नियमों को डाक विभाग (पोस्टमैन/ग्रामीण पोस्टमैन और मेल गार्ड) भर्ती नियम, 1989 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :

इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगा

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं आदि—

उक्त पदों से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होंगे।

4. अयोग्यता:—कोई भी ऐसा व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो, जिसके पहले ही एक जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, अथवा विवाह का करार किया हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट है कि यह विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी की स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और कि ऐसा करने के लिए और भी आधार हैं, तो इस नियम से किसी भी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्ति—

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों को इन नियमों के किसी भी उपबंध से छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति—

इन नियमों की किसी भी बात का प्रभाव उन आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को दी जानी हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
पोस्टमैन/ग्रामीण पोस्टमैन	*56006 (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "ग" अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय	825-15-900-इ० रो०-20-1200 रु०	चयन

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन क्या सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ प्राप्त है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
6	7	8
लागू नहीं होता	(1) 18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष की आयु तक छूट।) (2) वे अतिरिक्त विभागीय एजेंट जो 16-11-82 को या उससे पहले भर्ती हुए हैं, वे सभी पात्र होंगे यदि उनकी आयु 42 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 वर्ष) से कम हो और जो 16-11-82 के बाद नियुक्त हुए हैं, वे सभी पात्र होंगे यदि उनकी आयु 35 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 40 वर्ष) से कम हो और उन्होंने तीन वर्ष तक नियमित और संतोषजनक सेवा की हो। टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालय के मार्फत भर्ती किए जाने के मामले में, आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने को कहा गया है।	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली पदों का प्रतिशत।
9	10	11
नहीं	दो वर्ष	1. 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा; ऐसा न हो सकने पर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा विभागीय परीक्षा में उनकी मेरिट के आधार पर। 2. निम्नलिखित ढंग से, भर्ती डिवीजन या यूनिट के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा 50 प्रतिशत, अर्थात्:— (i) 25 प्रतिशत अतिरिक्त विभागीय एजेंटों में से, सेवा में उनकी वरिष्ठता के आधार पर बशर्ते कि उन्होंने विभागीय परीक्षा पास कर ली हो, ऐसा न हो सकने पर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा विभागीय परीक्षा में उनकी मेरिट के आधार पर

11
(ii) 25 प्रतिशत अतिरिक्त विभागीय एजेंटों में से विभागीय परीक्षा में उनकी मेरिट के आधार पर । 3. भर्ती डिवीजन के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की भर्ती के बावजूद यदि पद रिक्त रहते हैं, तो ऐसे पदों को उस पोस्टल डिवीजन के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा भरा जाए जो क्षेत्रीय निदेशकों के जोन के अंतर्गत आता हो । 4. भर्ती यूनिटों के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की भर्ती के बावजूद यदि पद रिक्त रहते हैं तो ऐसे पदों को उसी स्टेशन में स्थित पोस्टल डिवीजनों के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा भरा जाए । भरे न गए रिक्त पदों को उस क्षेत्र के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से भरा जाए । 5. फिर भी, यदि कोई पद रिक्त रह जाए तो रोजगार कार्यालय द्वारा मनोनीत व्यक्ति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाए

भर्ती यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होती है तो पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किस ग्रेड से किया जाता है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है
12	13	14
1. विभागीय परीक्षा के मार्फत उन ग्रुप "घ" कर्मचारियों को पदोन्नत करके, जिन्होंने आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को तीन वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो । 2. विभागीय परीक्षा के मार्फत अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से । 3. विभागीय परीक्षा के मार्फत सीधी भर्ती से ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद
1	2	3	4	5
मेल गार्ड	1870* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "ग" अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय	825-15-900-द. रो.-20-1200 रु.	चयन

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन क्या सेवा अतिरिक्त वर्षों का लाभ ग्राह्य है ।	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
6	7	8
लागू नहीं होता	(i) 18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष की आयु तक छूट ।) (ii) वे अतिरिक्त विभागीय एजेंट जो 16-11-82 को या उससे पहले भर्ती हुए हैं, वे तभी पात्र होंगे यदि उनकी आयु 42 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 वर्ष) से कम हो और जो 16-11-82 के बाद नियुक्त हुए हैं, वे तभी पात्र होंगे यदि उनकी आयु 35 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 40 वर्ष) से कम हो और उन्होंने तीन वर्ष तक नियमित और संतोषजनक सेवा की हो ।	मैट्रिकुलेशन या समकक्ष

7
टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालय के मार्फत भर्ती किए जाने के मामले में, आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने को कहा गया है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत।
9	10	11
नहीं	दो वर्ष	1. 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा। 2. 25 प्रतिशत भर्ती डिवीजन यूनिट के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा 3. भर्ती डिवीजन के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की भर्ती के बावजूद यदि पद रिक्त रहते हैं, तो ऐसे पदों को उस पोस्टल डिवीजन के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा भरा जाए जो क्षेत्रीय निदेशकों के जोन के अंतर्गत आता हो।

भर्ती यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होनी है, तो पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किस ग्रेड से किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसका गठन क्या है।	भर्ती करने के लिए जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।
12	13	14
1. विभागीय परीक्षा के मार्फत उन ग्रुप "घ" कर्मचारियों को पदोन्नति करके जिन्होंने आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को तीन वर्ष की निर्दोष और संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। 2. विभागीय परीक्षा के मार्फत अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से। 3. विभागीय परीक्षा के मार्फत सीधी भर्ती से।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं. 44-31/87-एम पी बी-I]

डी. एच. सरकार, सहायक महानिदेशक (एम पी एन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

New Delhi, the 6th July, 1989

G.S.R. 577.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Posts and Telegraphs (Postmen|Mail Guards|Head Mail Guards) Recruitment Rules, 1969, except in respect of things done for omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Postman|Village Postman and Mail Guards in the Department of Posts, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Posts (Postman|Village Postman and Mail Guards) Recruitment Rules 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these Rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said schedule.

4. Disqualifications.—No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Posts	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Postman/Village postman	56006* (1987)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 825-15-900-EB-20-1200.	Selection

*Subject to variation depndent on work load.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pesion) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not applicable.	(i) Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in acco dance with the instructions issued by the Central Government). (ii) Extra Departmental Agents who have been recruited on or before 16-11-1982 shall be eligible if they are with n 42 years (47 years for SC/ST) of age and those appointed after 16-11-82 shall be eligible, if they are wi hin 35 years (40 years for SC/ST) of age and have put in three years of regular and satisfactory service. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case o recrui ment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to send the names.	Matriculation or equivalent.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotions	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by probation or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11
No	Two years	1. 50% by promotion, failing which by Extra Departmen al Agents on the basis of their merit in the Departmental Examination. 2. 50% by Extra Departmental Agents of the recruiting division or unit, in the following manner, namely :— (i) 25% from amongst Extra Departmental Agents on the basis of their seniority in service and subject to their passing the Departmental Examination failing which by Extra Departmental Agents on the basis of merit in the Departmental Examination; (ii) 25% from amongst Extra Departmental Agents on the basis of their merit in the Departmental Examination. 3. If the vacancies remained unfilled by EDAs of the recruiting division, such vacancies may be filled by EDAs of the postal division falling in the zone of Regional Directors. 4. If the vacancies remained unfilled by EDAs of the recruiting units such vacancies may be filled by EDAs of the postal divisions located at the same station. Vacancies remaining unfilled will be thrown open to Extra Departmental Agents in the region. 5. Any vacancy remaining unfilled shall be filled up by direct recruitment through the nominees of the employment Exchange.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grade from which promotion deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composit on	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
12	13	14
1. Promotion from Group 'D' officials who have put in three years of regular and satisfac ory service as on the closing date for receipt of applications through a Departmental examination.	Not applicable	Not applicable
2. Extra Departmental Agents through a Departmental Examination.		
3. Direct Recruitment through a Departmental Examination.		

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post.
1	2	3	4	5
Mail Guard	(1870)* (1987)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 825-15-900-EB-20-1200.	Selection.

*Subject to variation dependent on work load.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not applicable	(i) Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions issued by the Central Government). (ii) Extra Departmental Agents who have been recruited on or before 16-11-82 shall be eligible if they are within 42 years (47 years for SC/ST) of age and those appointed after 16-11-1982 shall be eligible, if they are within 35 years (40 years for SC/CST) of age and have put in three years of regular and satisfactory service. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep) in the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to send the names.	Matriculation or equivalent.

Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods
9	10	11
No	Two years	1. 75% by promotion; failing which by Extra Departmental Agents.

9	10	11
		2. 25% by Extra Departmental Agents of the recruiting Division/Unit. 3. If the vacancies remained unfilled by Extra Departmental Agents of the recruiting division, such vacancies may be filled by Extra Departmental Agents of the postal division falling in the zone of Regional Directors.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer/ grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
12	13	14
1. Promotion from Group 'D' officials who have put in three years of regular and satisfactory service as on the closing date for receipt of applications through a Departmental examination. 2. Extra Departmental Agents through a Departmental Examination. 3. Direct Recruitment through a Departmental Examination.	Not applicable.	Not applicable.

[No. 44-31/87-SPB-I]

D. H. SARKAR, Asstt. Dir.-Gen. (SPN)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989